न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ. सौम्या झा,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 33/2024

प्रविष्टि दिनांक 23.02.2024

कजोड दत्तक पुत्र गोरधन जाति बैरवा निवासी देवबरनिया तहसील व जिला टोंक राज0

–अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार टोंक जिला–टोक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार टोंक दिनांक 24.01.2024 मिसल नम्बर 747/2024

उपस्थिति : (1) श्री शिवप्रसाद शर्मा,अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 21.03.2024**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 24.01.2024 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 99/4 मे से रकबा 0.3994 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम देवबरनिया तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 98/रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौका निरीक्षण नही किया और ना ही मौके की वास्तविक वस्तु स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई और बिना मौके पर जाकर स्वतंत्र गवाहान के बयान लिये ही निर्णय पारित कर दिया है। अपीलांट का कब्जा होने पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से अपीलांट को जिरह का अवसर नही दिया गया है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट का मौके पर कब्जा नही होने के उपरान्त भी दुर्भावना पूर्वक उक्त भूमि के कब्जे की रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही निणर्य के द्वारा अपीलांट को तीन सजाये क्रमशः बेदखल करने,पेनल्टी आरोपित करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है। अपीलांट ने वर्तमान मे उक्त आराजी पर से अपना कब्जा हटा

जिला कलेक्टर

टोंक

(3) ....

लिया है। अपीलांट ने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 99/4 मे रकबा 0.3994 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम देवबरनिया तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार टोंक द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की और से महावीर की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 99/4 रकबा 0.3994 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम देवबरनिया तहसील टोंक पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1000/2023 निर्णय दिनांक 08.02.2023 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा मे दिनांक 05.03.2024 को शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मैने मौके से भौतिक रूप से अपना कब्जा हटा लिया है और भविष्य मे उक्त भूमि अथवा किसी राजकीय भूमि पर पुनः अतिक्रमण/कब्जा नही करूगा। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टोंक का निर्णय दिनांक 24.01.2024 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्ट पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोंक